

(ई-मेल)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख) वित्त/बजट शाखा मध्यप्रदेश भोपाल
दूरभाष-0755-2674286 / फेक्स-0755-2674286 ईमेल-apccfbgt@mp.gov.in

क्रमांक/बजट./2019/5028

भोपाल/दिनांक 24/9/19

प्रति,

समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी,
म0प्र0 वन विभाग,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- बजट प्रावधान व वित्तीय नियमों का पालन किए जाने बाबत ।

—0—

विभाग द्वारा विभिन्न मदों में प्रावधानित व आवंटित मदों कतिपय कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा में किए जा रहे व्यय में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया जाता है जिसके कारण महालेखाकार म0प्र0 द्वारा आडिट आपत्तियां ली जाती हैं एवं नये नये आडिट पैरा अस्तित्व में आते हैं जो उचित नहीं है ।

अतः आप स्वयं इस बात की निगरानी करें कि प्रमाणक जिस जिस स्तर (निम्न स्तर से अधिकारी स्तर तक) से तैयार होते हैं उसमें निम्नलिखित नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं ?

1. बजट जिस मद हेतु आवंटित किया जा रहा है उसी मद में उसका उपयोग हो रहा है अथवा नहीं ?
2. सामग्री क्रय में भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ?
3. 12 मजदूरी के मद की राशि का व्यय मजदूरी हेतु ही किया जावे । किसी अन्य कार्य में व्यय न किया जावे ।

यदि उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो जिस स्तर से इस कार्य में लापरवाही बरती गई है उस स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही करें मुख्यालय स्तर की कार्यवाही है तो उस स्तर का उत्तरदायित्व निर्धारित कर इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि मुख्यालय से इस संबंध में उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही संपादित की जा सके ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन होना सुनिश्चित करें ।

24/9
(बिभाष कुमार ठाकुर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वित्त/बजट)

मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल/दिनांक 24/9/19

पृ0क0/बजट/5029

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक आंचलिक(कार्य आयोजना)भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय)मध्यप्रदेश ।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक(अनु/विस्तार)मध्यप्रदेश ।
4. समस्त क्षेत्र संचालक,राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश,
की ओर पालनार्थ एवं अधीनस्थों की समीक्षा हेतु अप्रेषित ।

जा.अ.शु.क.ल.(पु.वि.)आंचलिक(कार्य आयोजना)भोपाल को प्रेषित कर आग्रह

है कि कृपया इस पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करके अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वित्त/बजट)

को प्रेषित करें ।

24/9
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश भोपाल